153

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्र. /2016 विविध-9087-I16

भानू प्रसाद तिवारी तनय रामचरण तिवारी निवासी- ग्राम बल्देवगढ़, तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) ---**आवेदक**

विरुद्ध

इकबाल खाँ तनय हसन खाँ, निवासी- ग्राम बल्देवगढ़, तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) ---**अनावेदक**

विनोद भार्गव एडवो० 5-9-16

5-9-16

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 05-09-2016

आवेदन अतंगत धारा 9 के अतंर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 577-II/2016 के पुनः स्थापन हेतु।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार लिखित तर्क प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, प्रकरण में दिनांक 17/05/2016 को स्थगन आवेदन पर सुनवाई की जाकर प्रकरण आदेशार्थ रखा गया था, जिस पर पुनः सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया था।
2. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16/08/2016 नियत की गयी थी किन्तु यह तारीख पेशी आवेदक के अभिभाषक को सूचित नहीं हो सकी। इस कारण आवेदक का प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में दिनांक 16/08/16 को खारिज हो गया है।
3. यहकि, आवेदक द्वारा या आवेदक के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं किया गया है अपितु आवेदक अथवा उसके अधिवक्ता को तारीख पेशी की सूचना न हो सकने के कारण उपस्थित होने में व्यतिक्रम हुआ है जो क्षमा योग्य है। तथापि अधिवक्ता के किसी व्यतिक्रम के कारण आवेदक को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये।

अतएव उर्पयुक्तानुसार निवेदन है कि न्यायहित में आवेदन स्वीकार कर आवेदक का पुनरीक्षण 577-II/2016 पुनः स्थापित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

ग्वालियर

दिनांक : 05/09/2016

निवेदक

भानू प्रसाद तिवारी ---**आवेदक**

द्वारा अभिभाषक

आर. डी शर्मा,

विनोद भार्गव एवं अमित भार्गव

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9067—एक / 16 जिला —टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष को आवेदन अंतर्गत धारा 9 के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 577—दो / 16 में पारित आदेश दिनांक 16.8.16 को पुनः स्थापन करने पर तर्क श्रवण किये। 2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन का जबाव अनावेदक अधिवक्ता द्वारा दिया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि दिनांक 16.8.16 की पेशी नियत नहीं होने के कारण वह प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके इसलिये प्रकरण अनुपस्थित होने के कारण खारिज किया गया है। अतः पुनः स्थापन करने का अनुरोध किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव में लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा का पटटा होने के कारण व उसके संबंध में विवाद होने के कारण न्यायालय राजस्व मण्डल को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक का आवेदन पत्र आवेदन अंतर्गत धारा 9 के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन प्रस्तुत किया है उसे निरस्त किया जावे। 3— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। विचारोपरांत निग0 प्र0क0 577—दो / 16 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। तथा यह आवेदन स्वीकार कर निराकृत किया जाता है। सदस्य	